

दिनांक 04.01.2019 को श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में सम्पन्न प्रधान लिपिकों की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपस्थित सभी प्रधान लिपिकों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात विन्दुवार मामलों का समीक्षा करते हुए निम्नांकित निदेश दिये गये :-

1. वित्तीय प्रबंधन :-

- गत प्रधान लिपिकों की बैठक में दिये गये निदेश की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा सात निश्चय योजना के तहत क्रियान्वित योजनाओं में आवंटित राशि का व्यय संबंधी बैंक स्टेटमेंट एवं बैंक संगाशोधन प्रतिवेदन निम्नांकित प्रखण्ड कार्यालयों के प्रधान लिपिकों द्वारा तैयार किया गया है :-

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	प्रतिवेदन प्राप्त कराने की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	बक्सर	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि रूग्नी पंचायतों/वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से संबंधित खाते में स्थानांतरित की गई राशि का बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर ली गई है। खाते से मिलान भी कर लिया गया है। वित्तीय अनियमितता से संबंधित कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।	निर्देशित किया गया कि बैंक खाता एवं स्टेटमेंट से राशि का मिलान लगातार करते रहेंगे। एवं अद्यतन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यदि कहीं भी वित्तीय अनियमितता की बारा परिलक्षित होती है तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से अविलम्ब प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।
2.	इटाही	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि सभी पंचायतों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन पंचायत कार्यालय, बक्सर में जमा कर दिया गया है तथा बैंक स्टेटमेंट एवं संबंधित खाता से मिलान किया गया है, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं पाई गई है।	निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर मिलान करना सुनिश्चित करेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहेंगे।
3.	चौसा	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि सात निश्चय से संबंधित 08 पंचायतों के बैंक खाता की जांच की गयी है। 02 पंचायतों की जांच की जानी है।	समीक्षा के क्रम में प्रधान लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, चौसा अनुपस्थित पाये गये। अनुपस्थिति के संबंध में कोई सूचना भी कार्यालय को नहीं दी गयी है। प्रधान लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, चौसा को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 07.12.2018 को सम्पन्न प्रधान लिपिक की बैठक में दिये गये निदेश के अनुपालन के साथ आगामी बैठक में निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे।

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	प्रतिवेदन प्राप्त कराने की स्थिति	अस्युक्ति
1	2	3	4
4.	राजपुर	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि खाता एवं बैंक स्टेटमेंट से मिलान किया गया है। प्रखण्ड राजपुर के अन्तर्गत पंचायत तिथरा के वार्ड नं० 3 द्वारा पैसे की निकासी की गयी है, परन्तु कार्य नहीं किया गया है।	समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गत बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन अवतक प्राप्त नहीं कराया गया है तथा प्रधान लिपिक द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब भी नहीं दिया गया है। निदेश दिया जाता है कि गत बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण भी देना सुनिश्चित करेंगे।
5.	डुमराँव	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर जाँच की गयी है। कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है।	निदेशित किया गया कि बैंक खाता एवं बैंक स्टेटमेंट से मिलान करते हुए प्रतिवेदन जिला पंचायत शाखा, बक्सर को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।
6.	ब्रह्मपुर	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि पंचायत एवं वार्ड के बैंक खातों की जाँच की गयी है। कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुआ है, परन्तु 03 पंचायत में पंचायत सचिव द्वारा प्रभार नहीं लिये जाने के कारण कार्य बाधित है।	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से संबंधित पंचायत स्तर के बैंक खाते का स्टेटमेंट प्राप्त कर जाँच कर ली गयी है। कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुयी है, परन्तु वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के बैंक खाते से संबंधित जाँच करने में कठिनाई होती है। चूंकि वार्ड के खातों का स्टेटमेंट प्राप्त नहीं होते हैं। प्रधान लिपिक को निदेश दिया जाता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से वार्ड खाते से संबंधित बैंको से पत्राचार करते हुए प्रत्येक 15 दिन पर बैंक स्टेट तैयार कर जाँच की कार्रवाई करेंगे।
7.	सिमरी	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि सात निश्चय से संबंधित बैंक खातों की जाँच कर ली गयी है। कहीं भी अनियमितता परिलक्षित नहीं हुयी है।	दिनांक 07.12.2018 को सम्मान बैठक में प्रधान लिपिक द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं देने के कारण दिनांक 07.12.2018 का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीरण की मांग की गयी थी, परन्तु प्रधान लिपिक द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया है। निदेशित किया जाता है कि स्पष्टीकरण अविलम्ब देना सुनिश्चित करेंगे।

R

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	प्रतिवेदन प्राप्त कराने की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4
8.	चक्की	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि सभी पंचायत/वार्डों के बैंक खाता एवं उसका मिलान भी कर ली गयी है। कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आया है।	निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह में नियमित रूप से बैंक खातों की जांच करेंगे एवं यदि कोई अनियमितता परिलक्षित होती है तो नियमानुसार कार्रवाई करके हुए धरीय पदाधिकारी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।
9.	चौगाई	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि 15 वार्डों में नगद निकासी की गयी है, परन्तु निर्देश प्राप्त होते ही नगद निकासी बंद कर दी गयी है।	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि तत्संबंधी प्रतिवेदन जिला पंचायत कार्यालय, बक्सर को प्राप्त करा दी गयी है। प्रधान लिपिक, जिला पंचायत शाखा को निर्देश दिया जाता है कि प्रखण्ड कार्यालय, चौगाई से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
10.	केसठ	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि स्टेटमेंट प्राप्त कर जांच कर ली गयी है। कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई है।	निर्देशित किया जाता है कि नियमित रूप से बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर जांच करेंगे एवं आगामी बैठक में अद्यतन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
11.	नावानगर	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि स्टेटमेंट प्राप्त कर जांच कर ली गई है। ग्राम पंचायत रूपसागर के वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में गैस की राबिन्ड्री का पैसा आया है।	प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत, रूपसागर के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में गैस सब्सिडी का पैसा बैंक द्वारा स्थानांतरित किये जाने के विन्दु पर जिला पंचायत कार्यालय से मार्ग निर्देश की गांग की गयी है। प्रधान लिपिक, जिला पंचायत राज कार्यालय, बक्सर को निर्देश दिया जाता है कि आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

- उपस्थित सभी प्रखण्डों के प्रधान लिपिकों को दितीय प्रबंधन सुदृढ़ करने के निमित्त सरकारी कार्यहित में वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा संचालित विकस योजनाओं से संबंधित बैंक स्टेटमेंट एवं बैंक समाशोधन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।

- सभी प्रखण्डों के प्रधान लिपिकों द्वारा बताया गया कि सात निश्चय योजना के तहत प्रखण्ड कार्यालयों में कार्यपालक सहायकों का नियोजन किया गया है। नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा योगदान कर लिया गया है एवं रिक्ति जिला पंचायत कार्यालय को भेज दी गयी है। पंचायत शाखा के प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड कार्यालय, नावानगर एवं ब्रह्मपुर से रिक्ति की विवरणी अप्राप्त है। संबंधित प्रखण्डों के प्रधान लिपिक को निदेश दिया जाता है कि 24 धंटे के अंदर रिक्ति की विवरणी जिला पंचायत कार्यालय, बक्सर को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।
- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के भानदेय भुगतान हेतु आवंटन प्राप्त करायी गयी है, परन्तु प्रखण्डों से मानदेय भुगतान के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पंचायत कार्यालय को प्राप्त नहीं करायी गयी है, जिसके कारण विभाग को उपयोगिता नहीं भेजा जा सका है। सभी प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर जिला पंचायत कार्यालय, बक्सर को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।
- गत् बैठक में उपस्थित अंचलों के प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया था कि नियमित रूप से अंचल अधिकारियों का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम निर्गत करते हुए सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को अंचल क्षेत्रान्तर्गत थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी के साथ भूमि विवाद की बैठक एवं राजस्व वसूली से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे, परन्तु समीक्षा के क्रम में प्रधान लिपिकों द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी। निदेश दिया जाता है कि सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को थानाध्यक्ष एवं अंचल अधिकारी के साथ होने वाली बैठक में उपस्थित रहकर कृत कार्रवाई का कार्यवाही तैयार करेंगे तथा ससमय संबंधित कार्यालय को प्रतिवेदित करते हुए आगामी प्रधान लिपिक की बैठक में इस विषय पर कृत कार्रवाई के अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त करावेंगे।
- गत् प्रधान लिपिकों की बैठक में भूमि सम्पत्तिवर्तन से संबंधित भूमि का सर्वेक्षण कराते हुए अभिलेख तैयार कर सम्पत्तिवर्तन के विन्दु पर अग्रोत्तर कार्रवाई हेतु अपने अनुमण्डल पदाधिकारी को प्रतिवेदन प्राप्त कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु समीक्षा के क्रम में अनुपालन की स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी। निदेशित किया गया कि निश्चित रूप से भूमि सम्पत्तिवर्तन से संबंधित पर्यवेक्षण करते हुए सूची अपने अनुमण्डल क्षेत्र के अनुमण्डल पदाधिकारी को प्राप्त करावेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
- अंचलों में प्रायः ऐसा पाया जा रहा है कि मापी कार्य हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही अंचलाधिकारियों द्वारा मापी कार्य के विन्दु पर निदेश दे दिये जाते हैं। यह भी मामला प्रकाश में आया कि मापी कार्य हेतु प्राप्त आवेदनों को क्रमवार निष्पादन न करके मनमाने तरीके से आवेदनों का निष्पादन किया जाता है। निदेशित किया जाता है कि मापी कार्य हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की पंजी संघारित कर नियमित रूप से मापी कार्य का निष्पादन करेंगे एवं उसकी प्रविष्टि संबंधित पंजी में करेंगे।
- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि संयुक्त निदेशक, कृषि गणना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना से प्राप्त स्टेट कॉर्डिनेटर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, असम से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार किया जाना है, से संबंधित मामलों का सत्यापन अंचल, प्रखण्ड एवं अनुमण्डल स्तर पर लंबित है। बैठक में उपस्थिति अंचल/प्रखण्ड के प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया कि विषय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस मामले का निष्पादन शीघ्र करावेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहेंगे।
- बैठक में उपस्थित प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया कि व्यवहार न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा न्यायालयीय कार्य हेतु अभिलेखों की गांग की जाती है तो ससमय अभिलेख संबंधित न्यायालय को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. स्वच्छता :-

➤ गत बैठक में उपस्थित प्रधान लिपिकों को कार्यालयों को साफ सुथरा रखने का निदेश दिया गया था। दिये गये निदेश की समीक्षा के क्रम में उपस्थित प्रधान लिपिकों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कार्यालयों को साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखा जाता है।

3. जलकर :-

➤ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला मत्स्य कार्यालय के प्रधान लिपिक को बैठक में उपस्थित होने हेतु सूचना दिये जाने के बावजूद वे बैठक से अनुपस्थित हैं, जिसके कारण समीक्षा नहीं की जा सकी। प्रधान लिपिक, जिला मत्स्य कार्यालय, बक्सर का दिनांक 04.01.2018 एक दिन का वेतन भुगतान स्थगित किया जाता है तथा निदेश दिया जाता है कि मत्स्य विभाग से संबंधित जिले में कुल जलकरों की संख्या कितनी है तथा उन जलकरों पर यदि अतिक्रमण किया गया हो तो अतिक्रमण से संबंधित प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर निश्चित रूप से प्राप्त कशना सुनिश्चित करेंगे।

4. माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामले :-

क्र०	संबंधित कार्यालय	M.J.C	L.P.A	C.W.J.C	Cr.W.J.C.	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	उप विकास आयुक्त, बक्सर			4		4
2	जिला शिक्षा पदाधिकारी	1		11		12
3	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी		1	17		18
4	जिला शस्त्र शाखा			3		3
5	जिला सामान्य शाखा			1		1
6	जिला योजना शाखा			1		1
7	जिला मत्स्य पदाधिकारी			1		1
8	जिला स्थापना शाखा, बक्सर	1		0		1
9	D.P.O (ICDS)			4		4
10	अंचल अधिकारी, दुमशौच	1		2		3
11	अंचल अधिकारी, बक्सर	SLP-1		7		7
12	अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुर		1	5	2	8
13	अंचल अधिकारी, नावानगर			7		7
14	अंचल अधिकारी, चौसा			1		1
15	अंचल अधिकारी, इटाही		1	2		3
16	अंचल अधिकारी, सिमरी			4		4
17	अंचल अधिकारी, राजपुर	1		0		1
18	अंचल कार्यालय, फेसठ			1		1
19	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिमरी			0	1	1
20	प्रखंड विकास पदाधिकारी, इटाही			2		2
21	प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौसा			12		12
22	प्रखंड विकास पदाधिकारी, नावानगर			1		1
23	प्रखंड विकास पदा, ब्रह्मपुर			2	1	3
24	बिहार राज्य खाद्य निगम, बक्सर			1		1

12

क्र०	संबंधित कार्यालय	M.J.C	L.P.A	C.W.J.C	Cr.W.J.C.	कुल
1	2	3	4	5	6	7
25	भवन प्रमण्डल, बक्सर			1		1
26	नगर परिषद, बक्सर			1		1
27	नगर परिषद, डुमराँव			2		2
28	जिला परिषद, बक्सर	1		0		1
29	जिला परिवहन पदा०, बक्सर			1		1
30	जिला पंचायत शाखा, बक्सर			1		1
31	अनुमण्डल कार्यालय, डुमराँव			2		2
32	अनुमण्डल कार्यालय, बक्सर			1		1
33	जल संसाधन विभाग, बक्सर			1		1
34	पुलिस अधीक्षक, बक्सर			1		1
	कुल	5	3	100	4	112

लंबित वादों के समीक्षोपरांत निम्नांकित निदेश दिये गये :-

- संबंधित विभाग के प्रधान लिपिक जिला विधि शाखा, बक्सर से संपर्क स्थापित कर भाननीय न्यायालय से संबंधित लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त कर जिस मामले में तथ्य विवरणी प्राप्त नहीं हुई है, से संबंधित तथ्य विवरणी IWDMS के माध्यम से प्राप्त करेंगे।
- वैसे मामले जिसमें याचिका की प्रति IWDMS पर अपलोड नहीं है, से संबंधित याचिका की प्रति विशेष दूत प्रतिनियुक्त करते हुए प्राप्त करेंगे एवं 15 दिनों के अंदर न्यायालय में तथ्य विवरणी दाखल कराना सुनिश्चित करेंगे।
- वैसे मामले जिसमें तथ्य विवरणी दाखल हो चुकी है, का ओथ नं० दो दिनों के अंदर जिला विधि शाखा को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रधान लिपिक को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैठक में आने से पूर्व सभी मामले की अद्यतन जानकारी एवं अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा कर पूर्ण जानकारी के साथ बैठक में भाग लेंगे।
- लंबित वादों में कृत कार्रवाई की अद्यतन स्थिति आगामी बैठक के दो दिन पूर्व प्राप्त करायेंगे।
- प्रधान लिपिक जिला विधि शाखा, बक्सर को निदेशित किया जाता है कि वैसे मामले जिसमें तथ्य विवरणी दाखल हो चुके हैं तथा विभाग द्वारा ओथ नं० प्राप्त करा दी गयी है, को दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे तथा वैसे मामले जिसमें तथ्य विवरणी अनुमोदन हेतु प्राप्त हुई है, को शीघ्रता से उपस्थापित कर अनुमोदन की कार्रवाई करेंगे।
- समीक्षा के क्रम में निम्नांकित कार्यालय के प्रधान लिपिक अनुपस्थित पाये गये :-
 1. जिला परिषद, बक्सर
 2. जिला मत्स्य कार्यालय, बक्सर

उपरोक्त कार्यालय के प्रधान लिपिकों द्वारा बैठक में भाग नहीं लेने के आरोप में अगले आदेश तक संबंधित प्रधान लिपिक का दिनांक 04.01.2019 का वेतन भुगतान स्थगित किया जाता है।

R

5. डी0सी0 विपत्र :-

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	दिनांक 11.09.18 तक लम्बित डी0सी0 विपत्र की राशि	दिनांक 08.10.18 तक लम्बित डी0सी0 विपत्र की राशि
1	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ब्रह्मपुर	781925.00	781925.00
2	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बक्सर	102838.00	102838.00
3	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चककी	-65756.00	-65756.00
4	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इटाही	389000.00	389000.00
5	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नावाबगर	2894700.00	2894700.00
6	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरी	71570.00	71570.00
8	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, बक्सर	4534948.00	4522483.00
9	जिला शिक्षा पदा०, बक्सर	682619.00	682619.00
10	जिला योजना पदा०, बक्सर	442.00	442.00
11	जिला शिक्षा अधीक्षक, बक्सर	656670.00	656670.00
12	जिला कल्याण पदा०, बक्सर	11164578.00	11164578.00
13	उपसमाहर्ता नजारत, बक्सर	25596360.00	24530760.00
14	भवन प्रमंडल, बक्सर	662400.00	662400.00
15	कार्यपालक पदा०, नगर परिषद, बक्सर	2498477.00	2498477.00
16	जिला पंचायत कार्यालय, बक्सर	2691658.00	2691658.00
17	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर	2859040.00	2602269.00
18	कमन्डेंट होम गार्ड, बक्सर	9922850.00	9922850.00
19	एल०टी० कॉल कमांडिंग कार्यालय, बक्सर	582387.00	171430.00
20	शिताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर	1487959.00	1487959.00
21	बक्सर जिला के अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	109370797.20	109383262.00
Total		176885462.20	175152134.00

संबंधित कार्यालय के प्रधान लिपिकों को निदेश दिया जाता है कि अपने कार्यालय से संबंधित लंबित डी0सी0 विपत्रों की जांच करते हुए समायोजन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि बहुत से कार्यालयों द्वारा डी0सी0 विपत्र डी0सी0 विपत्र समर्पित कर दिये जाने की जानकारी दी गयी, परन्तु विभाग द्वारा समायोजित नहीं किये जाने के कारण मामले लंबित हैं। संबंधित कार्यालय के प्रधान लिपिक को निदेशित किया जाता है कि विशेष दूत महालेखाकार कार्यालय, पटना में भेजते हुए समायोजन की कार्यवाही सुनिश्चित करावेंगे। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि बाल विकास परियोजना कार्यालय के कई प्रधान लिपिकों द्वारा बताया गया कि लंबित डी0सी0 विपत्र अन्य परियोजना का है। जैसे प्रधान लिपिकों को निदेशित किया जाता है कि कोषागार कार्यालय से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर पूर्ण साक्ष्य के साथ महालेखाकार कार्यालय में स्वयं जाकर त्रुटि का निराकरण करावेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहेंगे।



6. सेवान्त लाभ :- सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवान्त लाभ के भुगतान के संबंध में सेवानिवृत्त कर्मियों की समीक्षा की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	सेवा निवृत्ति की तिथि	कार्यालय / विभाग का नाम	सेवानिवृत्त कर्मी का नाम एवं पदनाम (मोबाईल नं० सहित)
1	2	3	4
1	30.11.16	समाहरणालय, बक्सर	श्री शाकिर हुसैन, लिपिक
2	31.01.16	जिला प्रोग्राम कार्यालय, बक्सर	श्री रमेश कुमार ओझा, सेवानिवृत्त जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर मो० 9431668311
3	31.07.15	अनुमण्डल डुमराँव	श्री शंभुनाथ प्रसाद, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी मो० 9471932089
4	31.10.16	अनुमण्डल डुमराँव	श्री अरुण शक्ति देव, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, डुमराँव मो० 9661576511
5	31.03.18	अनुमण्डल डुमराँव	श्री मिथिलेश कुमार सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी डुमराँव
6	30.11.17	प्रखण्ड ब्रह्मपुर	श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, पंचायत सचिव
7	31.01.18	प्रखण्ड ब्रह्मपुर	श्री विष्णु राग, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, ब्रह्मपुर
7	28.02.17	प्रखण्ड, डुमराँव	श्री शैलेन्द्र सिंह, लिपिक
8	19.02.18 को मृत	प्रखण्ड, डुमराँव	स्व० दिनेश कुमार शर्मा, लिपिक
9	31.01.16	प्रखण्ड, डुमराँव	श्री बृज कुमार पाण्डेय, पंचायत सचिव
10	31.01.18	प्रखण्ड, बक्सर	श्री भारत भूषण राय, जनसेवक
10	31.08.12	प्रखण्ड, केसठ	श्री बालदेव सिंह, पंचायत सचिव
11	31.01.18	प्रखण्ड, इटाही	श्री रामधनी सिंह, पंचायत सचिव
12	31.01.14	प्रखण्ड, इटाही	श्री बशिष्ठ राम, कार्यालय परिचारी
13	07.09.12 मृत	प्रखण्ड, इटाही	स्व० श्याम लाल राम, कार्यालय परिचारी
14	28.02.2014	प्रखण्ड चौसा	श्री मदन राग, पंचायत सचिव
14	31.01.18	प्रखण्ड, सिमरी	मो० इमरान, उर्दू अनुवादक
15	31.01.18	प्रखण्ड, चककी	श्री ददन प्रसाद, निम्नवर्गीय लिपिक
16	31.01.18	प्रखण्ड, चौगाई	श्री लाल साहेब सिंह, पंचायत सचिव
17	31.12.17	प्रखण्ड, नावानगर	श्री नागेन्द्र सिंह, जनसेवक
	31.07.18	प्रखण्ड नावानगर	श्री रामनाथ सिंह, जीप चालक
18	मृत्यु की तिथि (28.10.14)	अंचल सिमरी	स्व० सुरज्जीत कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी
19	02.10.13	अंचल, इटाही	स्व० संतोष कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी
20	31.01.18	अंचल, ब्रह्मपुर	श्री भगवान सिंह, अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुर
21	30.11.18	अंचल, बक्सर	श्री अमर पासवान, चौकीदार
22	31.01.18	अंचल, राजपुर	श्री नारदमुनी गोस्वामी, राजस्व कर्मचारी
23	28.02.18	अंचल, चौगाई	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, अंचल अधिकारी
24	-	अंचल, नावानगर	श्री बृजराज सिंह, चौकीदार
25	31.12.16	उत्पाद एवं मध्य निशेध कार्यालय, बक्सर	श्री कृष्ण कुमार, स०अ०नि०उ०
26	31.07.17	भवन प्रमण्डल, बक्सर	श्री राजदेव प्रसाद, कार्य दर्शक
27	30.06.16	सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर	श्रीमती पान कुँवर देवी, कार्यालय परिचारी

2

क्र० सं०	सेवा निवृत्ति की तिथि	कार्यालय/विभाग का नाम	सेवानिवृत्त कर्मी का नाम एवं पदनाम (मोबाईल न० सहित)
1	2	3	4
28.	31.01.17	सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर	श्री कन्हैया प्रसाद, कनीय अभियंता
29	31.03.18	लघु सिंचाई प्रमण्डल, बक्सर	मो० हाफिज, मेट
30.	31.01.2017	जिला कृषि कार्यालय, बक्सर	श्री प्रेम शंकर राम, जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर
31	13.11.17	जिला कल्याण कार्यालय, बक्सर	श्री रविशंकर सिंह, लिपिक
32	30.09.2018	जिला कल्याण कार्यालय, बक्सर	श्री आफताब आलम, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी
33	28.02.2018	बल विकास परियोजना कार्यालय, नावानगर	श्री गुप्तेश्वर राम, अनुसूचक
34	31.01.18	जिला सहकारिता कार्यालय, बक्सर	श्री कामेश्वर प्रसाद, प्रधान लिपिक
35	27.01.2018 (मृत)	रि.वैल सर्जन कार्यालय, बक्सर	मो० मुस्ताफा अंसारी, चालक

- संबंधित कार्यालय के प्रधान लिपिकों को निदेश दिया जाता है कि अपने कार्यालय से संबंधित लंबित सेवान्त लाभों के निष्पादन की कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे एवं दिनांक 31.01.2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की विवरणी तैयार कर उन्हें देय सेवान्त लाभों के संबंध में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे तथा आगामी बैठक में उक्त प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
- सभी प्रधान लिपिक को यह भी निदेशित किया जाता है कि दिनांक 31.01.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से समाहरणालय सभाकक्ष में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। इसकी सूचना अपने प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थान एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रचार-प्रसार हेतु लगाना सुनिश्चित करेंगे।

7. लोकायुक्त :-

क्र०	लंबित कार्यालय का नाम	कुल प्राप्त मामलों की संख्या	प्रतिवेदन भेजे गए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या
1	जिला शिक्षा पदाधिकारी	13	11	2
2	राजस्व शाखा	9	7	2
3	योजना शाखा	1	0	1
4	डी०आर०डी०ए०, बक्सर	5	1	4
5	लोकायुक्त कोषांग, बक्सर	1	0	1
6	स्थापना उप समाहर्ता, बक्सर	1	0	1
योग		30	19	11

सभी संबंधित प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया कि लंबित मामलों का निष्पादन शीघ्र करना सुनिश्चित करेंगे एवं जिन मामलों में लोकायुक्त न्यायालय में यदि तिथि निर्धारित की गयी हो तो निर्धारित तिथि के पूर्व प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन लोकायुक्त कोषांग को भी देंगे। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।

R

8. मानवाधिकार :-

क्रमांक	लंबित कार्यालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1	पुलिस अधीक्षक, बक्सर	
2	उप विकास आयुक्त, बक्सर	01
3	अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमराँव	04
4	प्रभारी पदाधिकारी, आपदा शाखा, बक्सर	02
5	जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर	01
6	स्थापना उप समाहर्ता, बक्सर	08
7	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बक्सर	01
8	प्रभारी राजस्व शाखा, बक्सर	01
	कुल योग	19

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मानवाधिकार आयोग से संबंधित विभिन्न कार्यालयों में कुल 19 मामले लंबित हैं। संबंधित सभी प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया कि 15 दिनों के अंदर लंबित मामलों का निष्पादन कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन नोडल शाखा को प्राप्त कराएँगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।

9. विधान मंडल :-

क्र०	लंबित कार्यालय का नाम	कुल प्राप्त मामलों की संख्या	प्रतिवेदन भेजे गए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या
1	विकास शाखा	64	62	2
2	राजस्व शाखा	43	36	7
3	उप विकास आयुक्त -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	1	0	1
4	जिला पंचायत राज पदाधिकारी	3	0	3
	योग	111	98	13

उपरोक्त शाखाओं के प्रधान लिपिक को निदेश दिया जाता है कि 15 दिनों के अंदर विधान मंडल से संबंधित लंबित सभी मामलों का निष्पादन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहेंगे।

नोट :-

➤ सभी प्रधान लिपिक को निदेशित किया जाता है कि प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार अथवा अधोहस्ताक्षरी के अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम में नियत तिथि के 02 दिन पहले अपने कार्यालय में संधारित रोकड़ बही, बैंक पासबुक, बैंक समाशोधन एवं अन्य निदेशित मामलों का अद्यतन प्रतिवेदन के साथ बैठक में समीक्षा किये जाने वाले सभी बिन्दुओं का प्रतिवेदन संबंधित नोडल शाखा को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि संबंधित शाखा द्वारा ससमय समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


हो/—

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापक 01-0160 /स्था0,बक्सर,दिनांक 19/01/2019

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, बक्सर
अपर समाहर्ता, बक्सर
उप विकास आयुक्त, बक्सर
समाहरणालय के सभी प्रभारी पदाधिकारी
अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमराँव
भूमि सुधार उप समाहर्ता, बक्सर/डुमराँव
प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर
जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर
जिला मत्स्य पदाधिकारी, बक्सर
वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/डुमराँव
जिला स्तरीय सभी कार्यालय प्रधान
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला-बक्सर 11
सभी अंचलाधिकारी, जिला-बक्सर 11
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला-बक्सर
सभी प्रधान लिपिक

आईटी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निर्देशित किया जाता है कि बैठक की कार्यवाही जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।


जिला पदाधिकारी,
बक्सर